Price Control of Diphenhydramine Range Formulations

1592. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the 'Times of India' of the 9th March, 1990 captioned "Steps soon to recover dues from drug firms";

(b) whether it is a fact that the Government have taken a decision to include all those drugs under price control which do not fulfil any exclusion principles which are quite clear;

(c) whether it is a fact that Diphenhydramine, Methdilazine Hcl, Phenylbutazone, Oxyphenylbutazone, Norethisterone, Glybenclamide, Norgesterol, Ethinyl Estradiol, Phenformin Hcl and Avaforten do not fulfil any of the five principles as laid down by Kelkar Committee;

(d) what is the specific exculsion criteria under which each of these drugs were excluded and whether his Ministry have examined the same after the decision referred to above was taken; and

(e) what is the decision in respect to each drug and by when these drugs would be included?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have constituted a Standing Committee to review all matters relating to DPCO, 1987 including representations received for exculsion/inclusion of certain drugs in Scheduled Categories.

(c) and (d) The inculsion/exculsion of drug in Scheduled Categories under DPCO 1987 is based on the recommendations made by Kelkar Committee in its Main as well as Supplementary Report, copies of which are available in the Parliament Library.

Findings of the Review Committee on overcharges by drug companies

1593. SHRI BEKAL UTSAHI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the findings of Special Team appointed to work out the amount overcharged by drug/companies for recovery contained in the report is being reviewed;

(b) since when this review is in progress and what is the result of this review;

(c) what are the names and designation of the officers concerned for such review and what is the professional and legal competency of each;

(d) what is the terms of reference of this review Committee and by when their findings would be available; and

(e) what are the names of the Drug Companies and the names of drugs where due amount is being reviewed and what is the amount which the team worked out in each case?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) Yes, Sir. The Special Team have made assessments of the amount due in respect of drug companies involved in Supreme Court case.

(b) to (e) The entire matter is under review and is being examined afresh.

सीमेंट उद्योग में संकट

1594. **श्री राम नरेश यादव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों में सीमेंट उद्योग की कार्यशैली से संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग ने इस संबंध में कुछ आरोप लगाए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फरवरी 1990 के दौरान सीमेंट के मूल्य में न्यूनतम तेजी आई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त स्थिति क्या है और सरकार द्वारा सीमेंट उद्योग को इस संकट से छुटकारा दिलाने के लिए तथा सस्ते मूल्य की मांग करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) और (ख) उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने, मांग में कमी आने

आदि के कारण सीमेंट उद्योग के सामने आ रही वित्तीय समस्याओं के बारे में सीमेंट निर्माता संघ के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) कुछ चयनित केन्द्रों में फरवरी, 1990 के दौरान सीमेंट के मूल्य पिछले महीने के मूल्यों की तुलना में अधिक थे। चार महानगरों में फरवरी, 1989 से फरवरी, 1990 तक सीमेंट के मूल्यों का एक विवरण अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 153, अनुबंध सं० 68]

सीमेंट उद्योग की हालत में सुधार करने तथा सीमेंट का उत्पादन अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(1) उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, उर्जा बचत उपकरण लगाने, आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए योजनाएं आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्य के लिए, जहां आवश्यक होता है, प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाती है।

(2) सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कैप्टिव पावर जेनरेटिंग क्षमता स्थापित करने की सलाह दी गयी है। जो डीजल जेनरेटिंग सैट स्वदेश में उपलब्ध नहीं हैं, इस कार्य के लिए उनका आयात करने की अनुमति है।

(3) 1-3-1989 से मूल्य और वितरण नियंत्रण हटा लिया गया है। आशा है कि इस उपाय से सीमेंट उद्योग के विकास में तेजी आयेगी।

(4) प्रोजेक्टेड लघु एककों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दी गयी है। यह छूट 31-3-90 तक वैध है। कुछ विनिर्दिष्ट क्षमता वाले बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा निर्मित सीमेंट पर उत्पाद शुल्क सामान्य प्रभावी दर से 100 रुपये प्रति मी० टन कम कर दिया गया है।

(5) विभिन्न निविष्टियों, जैसे कि कोयला, बिजली और माल डिब्बों की उपलब्धता के मामले को राज्य बिजली बोर्ड, रेल मंत्रालय, कोयला विभाग, कोयला संगठन आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाकर सहायता देने के लिए विशेष प्रयत्न, सीमेंट उद्योग द्वारा सीमेंट के उत्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है।

कतिपय संस्थाओं द्वारा एच० बी० जे० गैस का न उठाया जाना

1595. **श्री रामनरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ध्यान 8 मार्च 1990 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' समाचार पत्र के "नो लिफ्टिंग आफ एच०बी०जे० गैस से इनवाइट पैनलटीज" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कतिपय संस्थाओं को आवंटित गैस का उनके द्वारा सही समय के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्यों क्या है तथा सरकार द्वारा इस विषय में की जाने वाली कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एच०बी०जे० पाइपलाइन के साथ अवस्थित बक्करवाला और शाहजहांपुर में स्थापित किये जाने वाले गैस पर आधारित तीन उर्वरक संयंत्र